

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

कृति कमल

बनाम

बिहार राज्य एवं अन्य

आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 108/2020

14 सितंबर 2023

(माननीय न्यायमूर्ति श्री अनिल कुमार सिन्हा)

विचार के लिए मुद्दा

क्या याचिकाकर्ता के विरुद्ध जारी गैर-जमानती वारंट अवैध और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 73 के विपरीत था?

क्या प्राथमिकी में नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल करने के बाद याचिकाकर्ता के विरुद्ध आगे की जाँच अनुमन्य नहीं थी?

क्या याचिकाकर्ता को केवल दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत ही सम्मन किया जा सकता है?

हेडनोट्स

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 - धारा 73 - गैर-जमानती वारंट - जहाँ आरोपित अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती है और अभियुक्त गिरफ्तारी से बच रहा है, वहाँ दंडाधिकारी/विशेष न्यायाधीश द्वारा गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी करना उचित है - दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 73 पूरी तरह लागू होती है।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 - धारा 41 और 73 - बिना वारंट के गिरफ्तारी - पुलिस को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41(1)(ख) के तहत किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार करने का अधिकार है, बशर्ते कि उस पर किसी संज्ञेय अपराध के होने का विश्वसनीय संदेह हो। दंडाधिकारी, अभियुक्त के फरार होने पर, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 73 के तहत गैर-जमानती वारंट भी जारी कर सकता है।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 - धारा 173(8) - आगे की जाँच - आरोप-पत्र दाखिल करने के बाद दंडाधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना आगे की जाँच की जा सकती है; पुलिस को आगे की जाँच करने का वैधानिक अधिकार है - पुनः जाँच से अलग।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 - धारा 319 - अभियुक्त का नाम जोड़ना -

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 लागू नहीं होती, जहाँ जाँच से ही किसी गैर-प्राथमिकी अभियुक्त

की संलिप्तता का पता चलता है; ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध आगे की जाँच और गैर-जमानती वारंट की माँग के माध्यम से कार्यवाही की जा सकती है।

बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद शुल्क अधिनियम, 2016 – धारा 30(क) – वाहन स्वामी का दायित्व – यदि किसी वाहन से अवैध शराब जब्त की जाती है, तो वाहन का पंजीकृत स्वामी अधिनियम की धारा 30(क) के अंतर्गत अभियोजन के लिए उत्तरदायी होगा; अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती है।

अभ्यास एवं प्रक्रिया – अग्रिम जमानत – गैर-जमानती अपराध में गिरफ्तारी से बचने वाले अभियुक्त के विरुद्ध गैर-जमानती वारंट जारी करने पर विचार करते समय अग्रिम जमानत आवेदन को खारिज करना एक प्रासंगिक कारक है।

भारत का संविधान – अनुच्छेद 226/227 – रिट क्षेत्राधिकार –

उच्च न्यायालय कानून के अनुसार जारी गैर-जमानती वारंट में हस्तक्षेप नहीं करेगा, जहाँ अभियुक्त फरार हो और अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती हो – रिट याचिका खारिज।

न्याय दृष्टान्त

आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार संख्या- 1288/2010 (प्रियंका कुमारी एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य), (2009) 6 एससीसी 346, (2004) 5 एससीसी 347

अधिनियमों की सूची

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973, बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद शुल्क अधिनियम, 2016, भारत का संविधान

मुख्य शब्दों की सूची

अवैध शराब परिवहन, वाहन मालिक का दायित्व, जांच बनाम पुनः जांच, गैर-जमानती वारंट जारी करने में न्यायिक विवेकाधिकार

प्रकरण से उत्पन्न

थाना कांड संख्या-20 वर्ष-2019 थाना- सुईया जिला- बांका से उद्भूत

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

याचिकाकर्ता/ओं की ओर से: श्री इंदु भूषण

प्रतिवादी/ओं की ओर से: श्री मोहम्मद नदीम सेराज

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया: श्री रवि राज, अधिवक्ता

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

न्यायालय ने माना कि गैर-जमानती वारंट वैध रूप से जारी किया गया है - चूंकि बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 30(ए) के तहत अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती है, और याचिकाकर्ता गिरफ्तारी से बच रहा था, इसलिए गैर-जमानती वारंट जारी करना वैध था। धारा 73 सीआरपीसी लागू नहीं - याचिकाकर्ता एक गैर-जमानती अपराध और गिरफ्तारी से बचने के आरोपी व्यक्ति के रूप में इसके दायरे में आता है। आगे की जाँच की अनुमति - धारा 173(8) सीआरपीसी के तहत पुलिस आरोप-पत्र दाखिल करने के बाद भी आगे की जाँच कर सकती है; ऐसा अधिकार सुरक्षित रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। धारा 319 सीआरपीसी लागू नहीं - चूंकि याचिकाकर्ता को जांच के दौरान पहले ही आरोपी पाया गया था और वह गिरफ्तारी से बच रहा था, इसलिए यह केवल मुकदमे के दौरान नए आरोपियों को जोड़ने का मामला नहीं है।

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2020 का आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला सं.108

थाना कांड संख्या-20 वर्ष-2019 थाना-सुइया जिला-बांका से उद्भूत

=====

कृति कमल, पति- गुंजन सिंह, निवासी- गाँव-छोटी दरियापुर, रामपुर, वार्ड सं.7, जमालपुर,
थाना-जमालपुर, जिला- मुंगेर।याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य
2. पुलिस अधीक्षक, बांका, बिहार
3. पुलिस उपाधीक्षक, बांका, बिहार
4. पुलिस निरीक्षक सह एस. एच. ओ., थाना-सुइया, जिला- बांका, बिहार
5. श्री राम नाथ मंडल, उपनिरीक्षक सह अनुसंधानकर्ता, सुइया, जिला- बांका, बिहार

.....उत्तरदाता/ओं

=====

उपस्थिति:

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री इन्दु भूषण
उत्तरदाता/ओं के लिए : श्री मो. नादिम सेराज

=====

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री अनिल कुमार सिन्हा

निर्णय एवं आदेश

मौखिक

दिनांक : 14-09-2023

वर्तमान याचिका दिनांक 17.01.2020 के उस आदेश को दरकिनार करने के लिए दायर की गई है, जिसके तहत अनुसंधानकर्ता के दिनांक 05.01.2020 के अनुरोध पर, बांका के विद्वान विशेष न्यायाधीश-सह-अपर सत्र न्यायाधीश-॥ द्वारा याचिकाकर्ता के विरुद्ध विशेष उत्पाद वाद संख्या 97/2019 में गिरफ्तारी का गैर-जमानती वारंट जारी किया गया था, जो सुइया थाना

से उत्पन्न हुआ था, मामला संख्या 20/2019, बिहार मद्य निषेध और उत्पाद शुल्क अधिनियम, 2016 की धारा 30 (ए) के तहत दंडनीय अपराध के लिए दर्ज किया गया था। (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जाएगा)।

2. मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि यह है कि 04.03.2019 को, सुईया थाना कांड संख्या 20/2019, धारा 30 (ए) के तहत एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी। जिसमें आरोप लगाया गया था कि देवघर से आ रहे अभियुक्त व्यक्ति एक सफेद रंग की टियागो कार में रॉयल स्टैग की 5 बोतलें और मैकडॉवेल की 42 बोतलें, जिनमें से प्रत्येक में 750 मि.ली. थी, ले जा रहे थे, जिसका पंजीकरण संख्या BR-10 Z-7556 था और जिसके आगे बिहार सरकार का साइनबोर्ड लगा था।

3. उक्त कार से दो व्यक्तियों, जीतो कुमार और बिजय कुमार, को गिरफ्तार किया गया, जिन्हें अभियुक्त बनाया गया था।

4. यह तथ्य कि याचिकाकर्ता कार का पंजीकृत मालिक है, विवादित नहीं है। याचिकाकर्ता ने वर्तमान मामले में अपनी गिरफ्तारी की आशंका के चलते, इस न्यायालय में 19.07.2019 को अग्रिम जमानत के लिए आपराधिक विविध संख्या 44448/2019 आवेदन दायर किया। इस निष्कर्ष पर पहुँचने के बाद प्रथम दृष्टया में ऐसा प्रतीत होता है कि आरोप लगाए गए हैं, जो अधिनियम के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि याचिकाकर्ता के संबंध में, याचिकाकर्ता उस वाहन का मालिक है, जिससे आपत्तिजनक सामान बरामद किया गया है, तदनुसार, याचिकाकर्ता की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई।

5. जाँच पूरी होने के बाद, पुलिस ने 26.04.2019 को प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत किया। विद्वान विशेष न्यायाधीश ने दिनांक 07.05.2019 के आदेश द्वारा अभियुक्त जीतो कुमार और बिजय कुमार के विरुद्ध अधिनियम की

धारा 30 (ए) के अंतर्गत संज्ञान लिया। (अनुलग्नक-3)। इसके बाद आरोप तय किये गये और मुकदमा शुरू हुआ।

6. दिनांक 05.01.2020 को, अनुसंधानकर्ता ने विशेष न्यायाधीश, बांका के समक्ष एक अर्जी दाखिल की, जिसमें कहा गया कि जाँच के दौरान, कृति कमल, अर्थात् याचिकाकर्ता का नाम सामने आया है, जो ज़ब्त किए गए वाहन, जिसका पंजीकरण संख्या BR-10 Z-7556 है, का मालिक है और फरार है। अतः, अनुसंधानकर्ता ने याचिकाकर्ता के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी करने का अनुरोध किया। उक्त अर्जी पर, विद्वान विशेष न्यायाधीश, बांका ने आक्षेपित आदेश द्वारा याचिकाकर्ता के विरुद्ध गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया।

7. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि गिरफ्तारी का गैर-जमानती वारंट जारी करना, शुरू में ही, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 73 (जिसे इसके बाद 'संहिता' के रूप में संदर्भित किया गया है) का उल्लंघन है क्योंकि याचिकाकर्ता संहिता की धारा 73 में उल्लिखित किसी भी शर्त के भीतर नहीं आता है।

8. अपने तर्क के समर्थन में, विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय की एकल पीठ द्वारा आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला 1288/2010 (प्रियंका कुमारी एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य) में पारित निर्णय का हवाला दिया और तर्क दिया कि गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आक्षेपित आदेश मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर न्यायिक विचार किए बिना पारित किया गया है और संहिता की धारा 73 में उल्लिखित कोई भी आवश्यक पूर्व-शर्त लागू नहीं होती है।

9. विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि संहिता की धारा 41 के अनुसार, पुलिस किसी भी व्यक्ति को बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन विद्वान विशेष

न्यायाधीश, बांका ने याचिकाकर्ता को समन जारी किए बिना, सीधे, अनुसंधानकर्ता की मांग पर, गिरफ्तारी का गैर-जमानती वारंट जारी किया, जो कानून में उचित नहीं है।

10. विद्वान अधिवक्ता आगे प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं था और जांच पूरी होने के बाद, केवल दो अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिनका नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में था, और आरोप पत्र प्रस्तुत करते समय, अनुसंधानकर्ता ने यह उल्लेख नहीं किया है कि आगे की जांच जारी है।

11. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने दलील दी कि कटोरिया अंचल के पुलिस निरीक्षक द्वारा 29.03.2019 को सूझा थाना कांड संख्या 20/2019 के संबंध में ज्ञापन संख्या 428/19 के माध्यम से जांच के दौरान पर्यवेक्षण नोट प्रस्तुत किया गया था। कटोरिया अंचल के पुलिस निरीक्षक ने ज्ञापन संख्या 473 (ए) 2019, दिनांक 06.04.2019 के माध्यम से एक सुधार पर्ची जारी की, इसमें कहा गया है कि पर्यवेक्षण नोट में, टाइपिंग की गलती के कारण, यह उल्लेख नहीं किया जा सका है कि जब्त वाहन के मालिक के खिलाफ मामला सही पाया गया है। इस प्रकार, अधिनियम की धारा 30 (ए) के तहत मामले को सही मानते हुए, अनुसंधानकर्ता को गैर-प्राथमिकि अभियुक्त, यानी याचिकाकर्ता, जो जब्त किए गए वाहन का मालिक है, का नाम जोड़ने के लिए विद्वान न्यायालय के समक्ष अनुरोध प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था। तदनुसार, पुलिस निरीक्षक ने ज्ञापन संख्या 575/2019, दिनांक 09.05.2019 के माध्यम से प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें कहा गया है कि पर्यवेक्षण नोट में पर्यवेक्षण और सुधार के बाद, यह मामला जब्त किए गए वाहन के मालिक, यानी याचिकाकर्ता के खिलाफ अधिनियम की धारा 30 (ए) के तहत सही पाया गया है और याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप पत्र जमा करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। तदनुसार, अनुसंधानकर्ता को पर्यवेक्षण पुलिस प्राधिकरण के निर्देश का पालन करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए गए थे। पुलिस निरीक्षक ने

ज्ञापन संख्या 88/2020, दिनांक 20.01.2020 के माध्यम से फिर से प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें कहा गया है कि केस डायरी के अवलोकन से, ऐसा प्रतीत होता है कि अनुसंधानकर्ता ने जब्त किए गए वाहन की स्क्रीन रिपोर्ट के साथ-साथ आधार कार्ड और मालिक की पुस्तक प्राप्त की है और पाया है कि कृति कमल, यानी याचिकाकर्ता, जब्त किए गए वाहन की मालिक है।

12. विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि याचिकाकर्ता अपने घर से फरार पाई गई। अतः, अनुसंधानकर्ता ने याचिकाकर्ता के विरुद्ध गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट प्राप्त कर लिया है। इसके अतिरिक्त, अनुसंधानकर्ता को निर्देश दिया गया कि वह याचिकाकर्ता को गिरफ्तार करे और फरार होने की स्थिति में, धारा 82/83 के तहत कार्रवाई करे।

13. उत्तर में, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने दलील दी कि आरोप पत्र दाखिल करते समय अनुसंधानकर्ता द्वारा आगे की जाँच के लिए कोई अधिकार सुरक्षित न होने के कारण, याचिकाकर्ता, जिसका नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं है, के विरुद्ध कोई और जाँच शुरू नहीं की जा सकती और याचिकाकर्ता को समन करने का एकमात्र तरीका संहिता की धारा 319 के तहत उपलब्ध है।

14. मैंने संबंधित पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अध्ययन किया है।

15. अधिनियम की धारा 30 (ए) एक संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से, ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता के वाहन से अवैध शराब का परिवहन किया जा रहा था और उसे याचिकाकर्ता के वाहन से जब्त किया गया था। इस प्रकार, प्रथम सूचना रिपोर्ट, अधिनियम की धारा 30 (ए) के अनुसार, वाहन के मालिक के विरुद्ध एक संज्ञेय अपराध का खुलासा करती है।

16. अनुसंधानकर्ता द्वारा प्रस्तुत अनुरोध और आगे की जाँच से, ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता अपनी गिरफ्तारी से बच रही थी और यह निर्विवाद है कि याचिकाकर्ता ने, वर्तमान मामले में अपनी गिरफ्तारी की आशंका के बाद, इस न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, जिसे दिनांक 19.07.2019 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था।

17. संहिता की धारा 41 (1) (बी) के अनुसार, कोई भी पुलिस अधिकारी दंडाधिकारी के आदेश के बिना और वारंट के बिना, किसी भी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है जिसके खिलाफ कोई उचित शिकायत की गई हो, या विश्वसनीय जानकारी प्राप्त हुई हो या उचित संदेह हो कि उसने को संज्ञेय अपराध किया है।

18. संहिता की धारा 73 (1) कहती है कि मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी या प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी किसी भी ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी कर सकते हैं, जिस पर गैर-जमानती अपराध का आरोप है और जो गिरफ्तारी से बच रहा है।

19. अभियोजन पक्ष का यह विशिष्ट मामला है कि प्राथमिकी में आरोपित अपराध गैर-जमानती है और याचिकाकर्ता अपनी गिरफ्तारी से बच रही है। अतः, धारा 73, जिस पर याचिकाकर्ता ने भरोसा किया है, वर्तमान मामले के तथ्यों में प्रासंगिक नहीं है। इस न्यायालय की एकल पीठ द्वारा **प्रियंका कुमारी (उपरोक्त)** मामले में दिया गया निर्णय, जिस पर याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने भरोसा किया है, भी प्रासंगिक नहीं है।

20. संहिता की धारा 173 के उपखंड (8) में कहा गया है कि उप-धारा (2) के तहत एक रिपोर्ट दंडाधिकारी को भेजे जाने के बाद अपराध के संबंध में धारा में कुछ भी, किसी तरह की आगे की जांच को बाधित करने वाला नहीं माना जाएगा।

21. **रामा चौधरी बनाम बिहार राज्य, (2009) 6 एस. सी. सी. 346** में प्रतिवेदित, के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि कानून आगे की जांच

के लिए दंडाधिकारी से पूर्व अनुमति लेने को अनिवार्य नहीं करता है। आरोप पत्र दाखिल करने के बाद भी आगे की जांच करना पुलिस का एक वैधानिक अधिकार है। पूर्व अनुमति के बिना पुनः जाँच निषिद्ध है। दूसरी ओर, आगे की जांच की अनुमति है।

22. **राम चौधरी (उपरोक्त)** के कंडिका 17 में, उच्चतम न्यायालय ने माना है कि "आगे" का अर्थ अतिरिक्त, अधिक या पूरक है। "आगे" की जाँच, इसलिए, पहले की जाँच की निरंतरता है और न कि एक नई जाँच या पुनः जाँच शुरू की जानी चाहिए जो पहले की जाँच को पूरी तरह से मिटा दे।

23. (2004) 5 एस. सी. सी. 347 में रिपोर्ट किए गए **हसनभाई वलीभाई कुरैशी बनाम गुजरात राज्य और अन्य** के मामले में, उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि जांच एजेंसी या अदालत के हाथों को इस आधार पर नहीं बांधा जाना चाहिए कि आगे की जाँच मुकदमे में देरी कर सकती है, क्योंकि अंतिम उद्देश्य सच्चाई तक पहुँचना है।

24. आगे की जाँच अदालत के किसी भी निर्देश को भी अस्वीकार करती है, क्योंकि यह पुलिस के लिए उचित जाँच करने के लिए खुला है, भले ही अदालत ने पहले प्रस्तुत की गई पुलिस प्रतिवेदन के आधार पर किसी भी अपराध का संज्ञान लिया हो।

25. संहिता की धारा 173 की भाषा के अनुसार, पुलिस अधिकारी स्वतः संज्ञान लेकर आगे की जांच कर सकते हैं और कानून आरोप पत्र दाखिल करने के बाद भी आगे की जांच के लिए दंडाधिकारी से पूर्व अनुमति अनिवार्य नहीं करता है।

26. तदनुसार, याचिकाकर्ता का यह तर्क कि आरोप पत्र दाखिल करने के समय, अनुसंधानकर्ता द्वारा अन्य अभियुक्तों के संबंध में आगे की जांच करने का कोई अधिकार सुरक्षित नहीं था, कानून द्वारा समर्थित नहीं है।

27. वर्तमान मामले में, यह स्पष्ट है कि अवैध शराब का परिवहन वाहन में किया जा रहा था, जो जांच के दौरान याचिकाकर्ता के स्वामित्व में पाया गया था।

28. अधिनियम की धारा 30 (ए) एक अपराध है यदि अवैध शराब किसी वाहन से ले जाई जाती है और वाहन के मालिक को इसके तहत उत्तरदायी बनाती है, जो संज्ञेय है और जमानती नहीं है।

29. जाँच के दौरान, पर्यवेक्षी पुलिस प्राधिकारी ने ज़ब्त वाहन के मालिक के विरुद्ध मामला सही पाया और अनुसंधानकर्ता को निर्देश दिया कि वह विद्वान न्यायालय के समक्ष गैर-प्राथमिकी अभियुक्त, अर्थात् ज़ब्त वाहन के मालिक, अर्थात् याचिकाकर्ता का नाम जोड़ने के लिए अनुरोध प्रस्तुत करें।

30. चूँकि प्रथम सूचना रिपोर्ट में संज्ञेय अपराध का खुलासा हुआ है, जाँच के दौरान, पर्यवेक्षी पुलिस प्राधिकारी ने अनुसंधानकर्ता को निर्देश दिया कि वह याचिकाकर्ता को गिरफ्तार करें और फरार होने की स्थिति में, धारा 82/83 के तहत कार्रवाई करें। अनुसंधानकर्ता ने अपनी अर्जी में कहा है कि याचिकाकर्ता गिरफ्तारी से बच रही है। यह अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती है और याचिकाकर्ता की अग्रिम जमानत याचिका पहले ही खारिज हो चुकी है, इसलिए वर्तमान मामले के तथ्यों में संहिता की धारा 319 लागू नहीं होती।

31. उपरोक्त चर्चा को देखते हुए, मुझे इस रिट आवेदन में कोई योग्यता नहीं मिलती है।

32. तदनुसार, यह रिट आवेदन खारिज कर दिया जाता है।

33. लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

(अनिल कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति)

प्रभाकर आनंद/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।